

# न्यायालय अति० जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12/61/2024

रजि० नं० 2024/54

प्रवेश तिथि 09.09.2024

अपीलार्थी :- युन्नी लाल पुत्र हीरालाल मौहल्ला चाकखारी वार्ड नं० 11 तिजारा रोड, किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा (राज०)	प्रत्यर्थी :- राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा
--	--

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—: निर्णय :- दिनांक 15.10.2024



- अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2024 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
- अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
- अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल-तिजारा से जरिये नोटिस क्रमांक 1891 दिनांक 09.09.2024 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 19.09.2024 को उपस्थित आवे। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ दिनांक 27.09.2024 को उपस्थित होकर पुनः तारीख पेशी नियत किये जाने का ऐंतराज किया गया, जिस पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.10.2024 नियत की गयी।
- अपीलार्थी नियत दिनांक को उपस्थित आया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास ने जर्ने पत्र क्रमांक 1720 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा बिन्दूवार जवाब पेश किया गया है। जवाब के साथ पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 1558 दिनांक 08.08.2024 की प्रति भी संलग्न की गयी है। जवाब में अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांक 08.05.2024 में वर्णित बिन्दूओ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सूचना चाही गयी। चाही गयी सूचनाएं/उस पर की जाने वाली कार्यवाही अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका किशनगढबास से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया गया है। जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी भिजवायी जाकर सूचित किया गया है। प्रस्तुत अपील में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड


जिला कलक्टर एवं अधिनियम अधिकारी  
खैरथल-तिजारा

अधिकारी किशनगढबास द्वारा विधिवत कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही से अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

- 5- पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार/प्रावधानुसार कार्यवाही करते हुये की गयी कार्यवाही से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
- 6- अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(शिवपाल जोट)  
अति० जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा (राज०)